तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज योगेश बनाम तहसीलदार वगै
12/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 02/4/25 को पेश हो।
2/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/4/25 को पेश हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)
7/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/4/25 को पेश हो। Shanti
9/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० की बहस सुनी गई, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/4/25 को पेश हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)
17/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 07 / 2024

1. योगेश कुमार दत्तक पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी शेरी खुर्द तहसीलदार उच्चैन।
.....प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू प्रवन्ध अधिकारी भरतपुर राज0।
..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः—17.04.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136,111,128 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्वर 239 वाके ग्राम शेरी खुर्द तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी का पुराना खसरा नम्वर 381 / 240 / 4.07 एवं 382 / 240 / 2 थे एवं पूर्व में उक्त आराजी का एक ही खसरा नम्वर 240 था। उक्त आराजी का पुराना मूल नम्वर 240 / 6.07 विस्वा था जिसके वाद में जमावन्दी में मिन नम्वर 381 / 240 / 4.07 एवं 382 / 240 / 2 वनाये गये लेकिन राजस्व नक्शा में कोई तरमीम नहीं की गई तथा दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी के नये खसरा नम्वर 238 / 0.16 है जिसका पुराना खसरा नम्वर 382 / 240 / 2 वीघा था एवं 239 / 0.70 जिसका पुराना खसरा नम्वर 381 / 240 / 4.07 वनाये गये एवं दौराने सैटलमेंट जव नया नक्शा वनाया गया तो पुराने नक्शे से एवं नये नक्शे की तुलना करने या नई जमावंदी से नये राजस्व नक्शा की तुलना करने पर रकवा वरावर नहीं होता है एवं नये नक्शे में मुझ प्रार्थी का रकवा कम पडता है। पुराने राजस्व नक्शा को नये राजस्व नक्शा से तुलना करने पर मुझ प्रार्थी के पूर्व में 5 गट्ठे, उत्तर में 1गट्ठा, एवं दक्षिण में 2 गट्ठे कम कर दिये गये है एवं पश्चिम में 2 गट्ठे वढा दिये गये है इस प्रकार मुझ प्रार्थी को लगभग 0.3है0 भूमी से महरूम होना पडता है। इस कारण प्रार्थी दौराने सैटलमेंट नये राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि को शुद्ध करा पाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि मुताविक रिकार्ड खसरा नम्वर 239 की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के खसरा नम्वर 225 का जमावंदी

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

के अनुसार क्षेत्रफल 0.53है0 व राजस्व नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल 0.49है0 है। खसरा नम्बर 240 का जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 0.39है0 व राजस्व नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल 0.39है0 है। खसरा नम्बर 239 का जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 0.70है0 व राजस्व नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल 0.64है0 है। खसरा नम्बर 238 का जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 0.55है0 है। खसरा नम्बर 243 का जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 0.86है0 व राजस्व नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल 0.86है0 है। खसरा नम्बर 241 का जमाबंदी के अनुसार क्षेत्रफल 0.53है0 व राजस्व नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल 0.55है0 है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर का पुराना खसरा नम्बर 240 से 2 नम्बर बने उक्त खसरा नम्बर से नया नम्बर 239 बना लेकिन सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा बनाये गये नये खसरा नम्बर 239 का रकवा जमाबंदी में पूरा है लेकिन नक्शे में रकवा कम है। जिसको प्रार्थना पत्र में टेबल में दर्शाया गया है। राजस्व नक्शे को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अबलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि को दुरस्त करबाने बाबत् पेश किया है। यदि पक्षकार के उक्त रकवे की शुद्धि नक्शे में की जाती है तो खसरा नम्बर 239 से लगते हुये खसरा नम्बर भी प्रभाबित होते है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 239 से लगते हुये अन्य खसरा नम्बरों के खातेदारों को सुनना न्यायहित में आवश्यक है। जो कि उक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है। मेरे विन्रम मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। परन्तु प्रार्थीगण विवादित खसरा नम्बर से लगते हुये अन्य नम्बरों के खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाकर नए सिरे से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर